request-110

Serial No. IV/4295
12

प्रेषक,

राम गोपाल यादव,
सिविल जज(जू०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट,
घाटमपुर, कानपुर देहात ।

सेवा में,

श्रीमान उपनिबन्धक(एम)
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
कानपुर-देहात।

विषयः- पत्रांक सं. 180 /iv-4295/ Admin(A-4) Dated 05-01-2019 के सम्बन्ध मे ।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि प्रार्थी ने 30 वी बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा हेतु आवेदन किया था तथा उक्त परीक्षा मे सम्मिलित होने हेतु माननीय न्यायालय से अनुमति मांगी थी परन्तु अनुमति प्राप्त न होने के कारण प्रार्थी उक्त परीक्षा मे सम्मिलित नही हुआ।

आख्या सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

25 FEB 2019

दिनांक 16-02-2019

भवदीय,
(राम गोपाल यादव,)
सिविल जज(जू०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट,
घाटमपुर , कानपुर देहात ।

Office of the District Judge, Ramabai Nagar (Kanpur Dehat), Judgeship
No. 386/XV Dated: 18.02.19
Forwarded to उपनिबन्धक (एम), मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

for necessary action.

District Judge,
Ramabai Nagar,
(Kanpur Dehat)
18.02.19

DR (RR) Admn.
SO Admin, A4

2200

DR(M)

As the officer has not appeared in the said exam, therefore, no action is called for now. May keep on record?

(initials) 15.03.19
(R.O.)

(signature) 16.3.19
AR

Yes
Sd/
16/3/2019
DR

request – 110

Registered

From,

Ram Prasad,
Deputy Registrar(M),
High Court of Judicature at
Allahabad.

To,

The District Judge
Ramabai Nagar (Kanpur Dehat).

10 No. 180 / IV- 4295/ Admin (A-4) / Dated 05-01-2019

Sub:-Grant of permission to Sri Ram Gopal Yadav, Civil Judge (Junior Division), Ghatampur- Ramabai Nagar to appear in 30th Bihar Judicial Services examination.

Sir,

With reference to your endt no. 1525/ XV dated 12.09.18 on the above Subject, I am directed to say that Sri Ram Gopal Yadav, Civil Judge (Junior Division), Ghatampur- Ramabai Nagar may kindly be asked to intimate as to whether he has appeared in the 30th Bihar Judicial Services examination, Advt. no. 06/2018 of Bihar Public Service Commission, Patna, held on 27th and 28th November 2018, in anticipation of Court's permission, and if yes, what about its result, that further necessary action may be taken in the matter.

D.R. (M)
May like to issue?
Awasthi
02.1.19
(CR.O.)

Yours faithfully
Rgd
2/1/2019
Deputy Registrar (M)

11

02.01.19
AR

No. 181 / IV-4295 / Admin (A) / Dated 05-01-2019

Copy forwarded for information and necessary action Sri Ram Gopal Yadav, Civil Judge (Junior Division), Ghatampur- Ramabai Nagar.

Rgd
2/1/2019
Deputy Registrar(M)

Reg. No. 18866
File No 4295
Serial No. 4

प्रेषक,

[redacted]

राम गोपाल यादव,
सिविल जज(जू०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट,
घाटमपुर, कानपुर देहात।

सेवा में,

माननीय महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
कानपुर-देहात।

पत्रांक- कानपुर-देहात, दिनांक सितम्बर 2018

06 DEC 2018

विषयः- बिहार लोक सेवा आयोग,पटना की विज्ञापन संख्या-06/2018 द्वारा आयोजित 30 वी बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा मे आवेदन करने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

ससम्मान विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी बिहार लोक सेवा आयोग,पटना की विज्ञापन संख्या-06/2018 द्वारा आयोजित 30 वी बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा मे सम्मिलित होना चाहता है।

अतः माननीय महोदय से विनम्र प्रार्थना है कि प्रार्थी को उपरोक्त परीक्षा मे आवेदन करने एवं परीक्षा मे सम्मिलित होने के सम्बन्ध में अनुमति प्रदान करने की महती कृपा करे।

सादर।

भवदीय,
(राम गोपाल यादव)
सिविल जज(जू०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट,
घाटमपुर,कानपुर-देहात।
आई०डी०नं०-यू०पी० 2304

दिनांक 11-09-2018

संलग्रक-
बिहार लोक सेवा आयोग,पटना की
विज्ञापन संख्या-06/2018 की छाया प्रति।

0 - DEC 2018

Office of the District Judge, Ramabai Nagar (Kanpur Dehat), Judgeship
No 1525/20 Dated: 12.09.18
Forwarded to The Registrar General, Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad.
for necessary action.

District Judge,
Ramabai Nagar,
(Kanpur Dehat)
12.09.18

DR(AR) Admin
SO Admin, A4

request-110

बिहार लोक सेवा आयोग

15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना – 800001

विज्ञापन सं.– 06/2018, 30वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के कुल 349 (तीन सौ उनचास) पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाईट www.bpsc.blh.nic.in पर प्रदर्शित है। इन रिक्त 349 (तीन सौ उनचास) पदों की कोटिवार विवरणी निम्नवत् है :–

क्र. सं.	कोटि	अनुमान्य पदों की कुल संख्या	35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की कुल संख्या
1.	अनारक्षित	175	62
2.	अनुसूचित जाति	56	21
3.	अनुसूचित जनजाति	03	01
4.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	73	25
5.	पिछड़ा वर्ग	42	14
	कुल	349	123

नोट:– **सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या– 588, दिनांक– 17.01.2017 के प्रावधानानुसार अस्थि विकलांग उम्मीदवारों हेतु 01 (एक) प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के तहत् 03 (तीन) पद अस्थि विकलांग उम्मीदवारों को अनुमान्य होगा। चयनित विकलांग (निःशक्त) उम्मीदवार जिस आरक्षित/गैर–आरक्षित वर्ग से संबंधित होगा, उसकी गिनती संगत आरक्षित/गैर–आरक्षित वर्ग में की जाएगी।**

2. **शैक्षणिक योग्यता** :– बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से विधि स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षोत्तीर्ण।

शैक्षिक योग्यता के लिए विभिन्न महाविद्यालयों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों द्वारा निर्गत उपाधि के संबंध में उम्मीदवारों को महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य/प्रधान, अथवा विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकार द्वारा हस्ताक्षरित यह प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा कि संबंधित शिक्षण सत्र में उक्त महाविद्यालय/संस्थान/विश्वविद्यालय को बार काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त है। उक्त प्रमाण पत्र के अभाव में आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

3. उम्र सीमा – सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक– 6906, दिनांक– 08.06.2017 के आलोक में उम्मीदवारों की न्यूनतम उम्र सीमा हेतु कट–ऑफ–डेट दिनांक– 01.08.2017 को 22 वर्ष से अधिक एवं अधिकतम उम्र सीमा कट–ऑफ–डेट दिनांक– 01.08.2013 को 35 वर्ष से कम होनी चाहिए। परन्तु आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए (महिला एवं अस्थि विकलांग श्रेणी सहित) तथा अनारक्षित श्रेणी की महिला अभ्यर्थियों के लिए उक्त तिथि को उम्र 40 वर्ष से कम एवं 22 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

4.(क) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या–4923, दिनांक– 08.05.2008 के आलोक मे अभ्यर्थियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होने की स्थिति में प्रारम्भिक परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। प्रारम्भिक परीक्षा के दो प्रश्न पत्र होंगे, जो निम्नांकित होंगे :–

क्र.सं.	पत्र	विषय	पूर्णांक
1.	प्रथम पत्र	सामान्य अध्ययन	100
2.	द्वितीय पत्र	विधि	150

प्रारम्भिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जो बहुविकल्पों पर आधारित होगा, जिसमें से एक सही उत्तर होगा। इस परीक्षा में ओ.एम.आर. (OMR) उत्तर पुस्तिका का प्रयोग किया जायेगा एवं इसकी जाँच कम्प्यूटर से आयोग कार्यालय में की जायेगी। उक्त दोनों प्रश्न पत्रों की पाठ्यक्रम सूची वही होगी, जो लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान एवं विधि के प्रश्न पत्रों के लिए विहित है। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान एवं विधि के विषय निम्नांकित है:–

1.	सामान्य ज्ञान (सामयिक घटनाओं सहित) (General Knowledge including current affairs)
2.	प्रारंभिक सामान्य विज्ञान (Elementary General Science)
3.	साक्ष्य एवं प्रक्रिया विधि (Law of Evidence & Procedure)
4.	भारत की सांविधानिक एवं प्रशासनिक विधि (Constitutional and Administrative Law of India)
5.	हिन्दू विधि और मुस्लिम विधि (Hindu Law & Muhammadan Law)
6.	संपत्ति अंतरण विधि (Law of Transfer of Property) और साम्य सिद्धान्त (Principles of Equity), न्याय विधि–विशिष्ट और अनुतोष (Law of Trusts and Specific Relief) सहित
7.	संविदा और अपकृत्य विधि (Law of Contracts & Torts)
8.	वाणिज्य विधि (Commercial Law)

प्रारम्भिक परीक्षा में सम्मिलित हुए अभ्यर्थियों की संख्या का दस प्रतिशत, 100 के निकटतम गुणन में परिवर्तन करते हुए पात्र अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के लिए किया जायेगा और अंतिम अभ्यर्थी के समान अंक के सभी अभ्यर्थी लिखित परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त होंगे।

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के अधिसूचना संख्या–17283, दिनांक–28.12.2016 के आलोक में प्रावधान निम्नवत है:–

1. प्रारम्भिक परीक्षा में आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा में योग्य होने के लिए अर्हतांक सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से 5 प्रतिशत कम होंगे।
2. महिला एवं अस्थि विकलांग अभ्यर्थियों सहित आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से प्रत्येक सिद्धान्त विषय के लिए 5 प्रतिशत कम न्यूनतम अर्हतांक होंगे एवं कुल प्राप्तांक से 5 प्रतिशत कम न्यूनतम अर्हतांक होंगे।
3. महिला एवं अस्थि विकलांग सहित आरक्षित श्रेणी से भिन्न अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने हेतु 05 (पाँच) से अधिक अवसर नहीं प्राप्त होंगे।

(ख) **चयन का आधार** :– **नियुक्ति हेतु चयन, लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जायेगा।**

लिखित मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम निम्नवत् है :–

परीक्षा के अनिवार्य विषय–

क्र. सं.	विषय	विषय कोड	पूर्णांक
1.	सामान्य ज्ञान (सामयिक घटनाओं सहित) (General Knowledge including current affairs)	01	150
2.	प्रारंभिक सामान्य विज्ञान (Elementary General Science)	02	100
3.	सामान्य हिन्दी (General Hindi)	03	100
4.	सामान्य अंग्रेजी (General English)	04	100
5.	साक्ष्य एवं प्रक्रिया विधि (Law of Evidence & Procedure)	05	150

सामान्य हिन्दी और अंग्रेजी पत्र में न्यूनतम योग्यता प्रदायी अंक 30 होगा जिसे नही प्राप्त करने पर उम्मीदवार को लिखित परीक्षा हेतु योग्यताप्राप्त नहीं माना जायेगा। सामान्य हिन्दी एवं सामान्य अंग्रेजी के प्राप्तांक मेधा सूची में नहीं जोड़े जायेंगे।

परीक्षा के ऐच्छिक विषय:–

उम्मीदवारों को निम्नांकित पाँच विषयों में से किसी तीन विषय को चुनने का विकल्प होगा :–

क्र. सं.	विषय	विषय कोड	पूर्णांक
6	भारत की सांविधानिक एवं प्रशासनिक विधि (Constitutional and Administrative Law of India)	06	150
7.	हिन्दू विधि और मुस्लिम विधि (Hindu Law & Muhammadan Law)	07	150
8	संपत्ति अंतरण विधि (Law of Transfer of Property) और साम्य सिद्धान्त (Principles of Equity), न्याय विधि–विशिष्ट और अनुतोष (Law of Trusts and Specific Relief) सहित	09	150
9.	संविदा और अपकृत्य विधि (Law of Contracts & Torts)	09	150
10.	वाणिज्य विधि (Commercial Law)	10	150

उपर्युक्त अंकित सभी विषयों का विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है।

(ग) लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के लिए 100 अंकों का साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण आयोजित किया जायेगा। **सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के अधिसूचना संख्या–16645, दिनांक 03.12.2014 के आलोक में मौखिक (साक्षात्कार) परीक्षा के लिए योग्यता प्रदायी अंक 35 प्रतिशत होगा। (लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर अंतिम मेधा सूची तैयार की जायेगी)**

असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के संवर्ग का कोई पदाधिकारी यदि सेवा के तीन वर्ष पूरा होने के पूर्व छोड़ देता है या सेवा त्याग देता है तो उसे तीन माह पूर्व इसकी सूचना देनी होगी अथवा उसके बदले तीन माह के वेतनादि के समतुल्य नकद राशि जमा करना होगा।

5. आरक्षण.

(i) ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

(ii) जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण

request-110

का लाभ देय नहीं होगा। आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा।

(iii)(A) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा :–

(a) जाति प्रमाण–पत्र

(b) स्थायी निवास/मूल निवास (डोमिसाइल) प्रमाण–पत्र

(B) पिछड़े जाति एवं अत्यन्त पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा :–

(a) जाति प्रमाण–पत्र

(b) स्थायी निवास (डोमिसाइल) प्रमाण–पत्र/मूल निवास प्रमाण–पत्र

(c) क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र

पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण–पत्र एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण–पत्र/मूल निवास प्रमाण–पत्र एवं जाति प्रमाण–पत्र मान्य होगा। **आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की जाति/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र उनके पिता के नाम से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम से।** उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण–पत्र साक्षात्कार के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

(iv) **आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोड के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षण कोड का अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण–पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।**

आरक्षित कोटि का आरक्षण कोड निम्नवत् है :–

क्र.स.	आरक्षित कोटि	आरक्षण कोड
1	अनुसूचित जाति (SC)	02
2.	अनुसूचित जनजाति (ST)	03
3.	अति पिछड़ा वर्ग (EBC)	04
4.	पिछड़ा वर्ग (BC)	05

(v) निःशक्तता (विकलांगता) की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत निःशक्तता (विकलांगता) प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा उनको निःशक्तता (विकलांगता) के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

(vi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक– 2342 दिनांक– 15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को नियमानुसार 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

(vii) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक– 16144, दिनांक– 28.11.2012 के आलोक में नियुक्ति/प्रोन्नति/नामांकन की जारी प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है।

6. <u>शुल्क</u> :–

केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, 40% या उससे अधिक निःशक्त (विकलांग) अभ्यर्थियों एवं राज्य की स्थायी निवासी सभी (आरक्षित/अनारक्षित वर्ग की) महिला उम्मीदवारों के लिए 150/– (एक सौ पचास) रूपये तथा बिहार राज्य के अन्य कोटि के उम्मीदवारों एवं अन्य राज्यों के सभी कोटि के उम्मीदवारों के लिए 600/– (छः सौ) रूपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन भुगतान से संबंधित बैंक रसीद का प्रिंट कर अपने पास सुरक्षित रखेंगे एवं आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के साथ निश्चित रूप से संलग्न करेंगे।

वैसे सभी कोटि के निःशक्त अभ्यर्थी एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि से आने वाले अभ्यर्थी जो निःशक्तता/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के लाभ का दावा करते हैं और उनके द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्तता के अनुरूप परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है और भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा निःशक्तता से संबंधित प्रमाण–पत्र तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उसपर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) के आधार पर अनर्हित किया जा सकता है। निःशक्त अभ्यर्थियों एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वयं निर्णय ले सकते हैं।

7. <u>ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित हैं</u>:– (i)

1.	रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) की तिथि	08.09.2018 से 28.09.2018 तक
2.	परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि	03.10.2018 तक
3.	ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि	09.10.2018 तक

<u>नोट–1:</u> जिस तिथि को रजिस्ट्रेशन किया गया है उसकी अगली तिथि को पूर्वाह्न 11:00 बजे के बाद परीक्षा शुल्क का ऑनलाईन भुगतान करने के लिए आवेदक को लिंक उपलब्ध होगा।

<u>नोट–2:</u> जिस तिथि को भुगतान किया गया है उसकी अगली तिथि को पूर्वाह्न 11:00 बजे के बाद आवेदक को ऑनलाइन **Application Form भरने के लिए लिंक उपलब्ध होगा। अभ्यर्थी दिनांक– 03.10.2018 तक निश्चित रूप से भुगतान कर लें।**

(ii) उपर्युक्त विज्ञापन के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक (विस्तृत) निर्देश इस विज्ञापन के साथ संलग्न है।

अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देशों को भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही–सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा। इस संबंध में किसी प्रकार के सुधार/परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

ऑनलाइन आवेदन में भरी गयी सूचनाओं को मूल प्रमाण पत्र/अंक पत्रों से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

(iii) उम्मीदवार डैश बोर्ड पर अंकित नाम, जन्म तिथि, कोटि, परीक्षा शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरान्त ही बैंक में परीक्षा शुल्क जमा करेंगे।

(iv) ऑनलाइन आवेदन में अंकित E-mail Id, Mobile Number तथा प्राप्त User Name एवं Password को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे।

(v) मात्र रजिस्ट्रेशन एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान करने से यह नहीं माना जाएगा की अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाईन आवेदन भर लिया गया है।

(vi) इन्टरनेट या पोरटल या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।

(vii) उम्मीदवार हाल का खिंचा हुआ अपना एक फोटोग्राफ तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर स्कैन कर ऑनलाईन आवेदन में निर्धारित स्थान में अपलोड करेंगे। उम्मीदवार संतुष्ट हो लेंगे कि अपलोड किया गया फोटोग्राफ तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर का इमेज सुस्पष्ट है।

(viii) इस प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि आवेदन करते समय जो फोटोग्राफ उनके द्वारा आवेदन पत्र पर अपलोड किया जा रहा है, उसकी कम से कम पाँच अतिरिक्त प्रतियाँ वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आयोग द्वारा माँगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके।

(ix) ऑनलाइन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान (Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure/Transaction Status Pending) के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।

8. <u>महत्वपूर्ण निर्देश</u> :–

(i) अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाइन आवेदन को सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी उसी समय पुनः Login कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध "Download Filled Application Section" से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर उसकी दो प्रति निश्चित रूप से प्रिंट करेंगे। विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र/कागजात, परीक्षा

request-110

शुल्क भुगतान की बैंक रसीद की प्रति अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय या किसी भी समय मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित प्रमाण–पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा।

(ii) आवेदक यह भी सुनिश्चित कर लें कि डाउनलोड किये गये आवेदन की हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर **Registration Number, Bar Code** एवं **Submitted Application Number** अंकित है। हार्ड कॉपी पर Registration Number, Bar Code एवं Submitted Application Number में से किसी एक के अंकित नहीं होने पर भी आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा एवं आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा तथा अभ्यर्थी/आवेदक को प्रवेश–पत्र नहीं निर्गत किया जाएगा और न ही उन्हें परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा।

9. योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन–पत्र में किया है। योग्यता से संबंधित प्रमाण–पत्र के निर्गत होने की तिथि, आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व का होना आवश्यक है।

10. आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण–पत्र, अंक–पत्र साक्षात्कार के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।

11. आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण–पत्र मूल रूप में उनके पास आवेदन भरते समय उपलब्ध हैं।

12. इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर प्रकाशित की जाएगी, समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा।

13. उपर्युक्त विज्ञापन से संबंधित ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत निर्देश आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है। इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाइन आवेदन से अलग, मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। साथ ही, अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

14. आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जाए। भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन/सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

संयुक्त सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।

Digitally signed by Sant Lal Sharma
Date: 2019.11.07 14:53:19 IST
Reason: A.R.(ADMIN-H)
Location: High Court, Allahabad